कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता राज.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड टोंक

किसान भवन प्रथम तल, कृषि उपज मण्डी समिति परिसर, टोंक 304001

E- Mail :-eetonk.rsamb@rajasthan.gov.in **Tel/Fax No. 01432-247821**

क्रमांकः-वि.बो./2017-18/ 1069 दिनांक : 08.09.2017

श्रीमान् उप वन संरक्षक
टोंक।

विषय :- मिसिंग लिंक रोड दूनी-आंवा रोड से चांदली माताजी (5 किमी)के निर्माण हेतु आवश्यक वन भूमि का प्रत्यावर्तन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय से प्राप्त नवीनतम एफ.आर.ए. प्रमाण-पत्र मय जिला स्तरीय कमेठी की बैठक का विवरण, उपखण्डीय स्तरीय बैठक व ग्राम पंचायत चांदली व निवारियां का प्रस्ताव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कृपया उपरोक्त सभी प्रपत्र ऑन-लाईन भी भिजवाये जा रहें। कृपया भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण ऑन-लाईन मय टिप्पणी के भिजवाने का श्रम करें।

सलंग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

08/09/17

(गोपाल सिंह मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता,
राज.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
खण्ड टोंक

अधिशाषी अभियंता
राज.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
टोंक (राज.)

स्वच्छ राजस्थान स्वच्छ टोंक

कार्यालय जिला कलेक्टर,टोंक

क्रमांक एफ 12 ()वन अधिनियम/2017–18/ 3241 दिनांकः– 08.09.2017

TO WHOWSOEVR IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and forests MoEF), Government of India's Letter No. 11-09/98-FC(Pt.) dated 3rd August 2009 Wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional Forest dwellers (Recognition of forest Right) Act,2006 (FRA'.For Short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MoEF's Letter dated 5th February 2013 wherin MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects.It is certified that 2.1 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of Rajasthan State Agricultural Marketing Board Div. Tonk (name of user agency) for Const. of M/L Dooni Anwa Road to Chandli Mata ji Distt. Tonk (5.00km) (purpose for diversion of forest land) in Tonk District falls within jurisdiction of Chandli & Nivariya village(s) in tehsils Deoli

It is further Certified that :-

(A) The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.1 hectares of forest area proposed for diversion. A Copy of records of all Consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s) Sub-Division level Committess (s) and the district level Committee are enclosed as annexure A, no objection Certificate of Grram panchayt chandli No. 91 dated 04-08-2017& Gram panchayat Nivariya No. 92 dated 04-08-2017.

(B) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been Completed and the Gram Sabhas have given their Conset to it;

(C) The proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encla. : As above

District Collector,Tonk

प्रमाणित

अधिशाषी अभियंता
राज.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
टोंक (राज.)

C:\Users\A to Z\Downloads\zila collater Tonk information.docx
1

कार्यालय जिला परिषद टोंक

क्रमांक एफ 12 (   )वन अधि./2006–2008/सं.नि.2012/ 3242   दिनांक :– 08.09.2017

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 08.09.2017 को जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में उनके कक्ष में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकार मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई । जिसमें निम्नानुसार चर्चा की गई ।

निर्माण कार्य मिसिंग लिंक दूनी–आंवा रोड से चॉदली माताजी का निर्माण राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड टोंक द्वारा करवाया जाना है । उपखण्ड स्तरीय समिति देवली के पत्रांक 682 दिनांक 16.08.2017 द्वारा पारित निर्णय अनुसार ग्राम पंचायत चांदली एवं कंवरपुरा तहसील देवली 2.10 है0 भूमि मे रोड निर्माण हेतु प्रस्ताव सं. 03 दिनांक 22.07.2017 एवं ग्राम पंचायत निवारिया के प्रस्ताव सं0 02 दिनांक 22.07.2017 द्वारा उक्त भूमि के 2.1 हैक्टर प्रत्यावर्तन हेतु सहमति प्रदान की गई । अतः उपखण्ड स्तरीय समिति देवली के पत्रांक 683 दिनांक 18.08.2017 द्वारा 2.10 है0 वन भूमि में मिसिंग लिंक दूनी–आंवा रोड से चांदली माताजी का, वन विभाग की सहमति दिये जाने पर जिला स्तरीय समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव का एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र दिये जाने का अनुमोदन किया गया ।

8/9

उप वन संरक्षक,टोंक

अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद टोंक

जिला कलक्टर टोंक

(अनु०)
(राधेश्याम मीणा)
जिला परिषद सदस्य
ग्राम पो0 काशीपुरा
तहसील पीपलू

(अनु०)
(खेमराज मीणा)
जिला परिषद सदस्य
ग्राम पोस्ट निम्हेड़ा
तहसील पीपलू

(अनु०)
(विजया मीणा)
जिला परिषद सदस्य
सल्ला की ढाणी ,चॉदसेन
तहसील मालपुरा

प्रमाणित

अधिशाषी अभियंता
राज.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
टोंक (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, टोंक (राज.)

क्रमांक :– राजस्व / 2017 / 683 दिनांक 18.8.17

श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय,
टोंक।

विषय :– मिसिंग लिंक रोड दूनी–आंवा रोड से चांदली माताजी (5किमी0) के निर्माण हेतु आवश्यक वन भूमि का प्रत्यावर्तन बाबत्।

प्रसंग :– अधिशाषी अभियन्ता राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड टोंक के पत्रांक विबो / 2017–18 / 914 दिनांक 04.08.17 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के संदर्भ एवं दूरभाष पर श्रीमान् कलेक्टर महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक राजस्व / 2015 / 869 दिनांक 01.10.15 द्वारा मिसिंग लिंक रोड दूनी–आवां रोड से चांदली माताजी के निर्माण हेतु वन भूमि 2.10 है0 के उपयोग के बदले वन विभाग के नजदीक एवं अतिक्रमण रहित ग्राम बिशनपुरा तहसील देवली के आराजी खसरा नं0 182 रकबा 12.39 है0 में से 2.10 है0 सिवायचक बंजड से हटाकर, वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तन (अदला–बदली) करने का प्रस्ताव श्रीमान् को भिजवाया गया था। जिसे श्रीमान् के आदेश क्रमांक एफ12–3 ()राजस्व / आवटन / 15 / 5919–26 दिनांक 07.06.2017 की पालना में भूमि को वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तन कर दी गई है। प्रासंगिक पत्र के द्वारा उक्त वन भूमि में रोड निर्माण बाबत् नवीन एफआरए प्रमाण पत्र चाहा गया है। मिसिंग लिंक रोड दूनी–आंवा रोड से चांदली माताजी (5किमी0) का निर्माण राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड टोंक द्वारा करवाया जाना है। जिसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश विभाग द्वारा जारी हो चुके है। उक्त रोड के निर्माण होने पर दूनी तहसील के लगभग 20 गांव के किसानो को अपनी फसल सीधी कृषि उपज मण्डी समिति देवली में लाने के लिए सुविधा होगी तथा अन्य रास्तो के बजाय इस रोड से आने पर लगभग 15 किमी0 दूरी की बचत होगी। साथ ही धार्मिक आस्था के प्राचीन मंदिर चांदली माताजी से भी सीधा जुड़ाव होगा। परन्तु उक्त रोड वन विभाग की भूमि से गुजरता है। इस मिसिंग लिंक रोड के निर्माण में लगभग 2.10 है0 वन विभाग की भूमि का उपयोग होगा। ग्राम पंचायत चांदली एवं ग्राम पंचायत निवारिया द्वारा भी उक्त रोड निर्माण की सहमति प्रकट की है। इस संबंध में उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय पारित किया गया कि ग्राम चांदली व कंवरपुरा तहसील देवली में स्थित 2.10 है0 वन भूमि में मिसिंग लिंक दूनी–आवा रोड से चांदली माताजी का वन विभाग की सहमति से निर्माण किया जाता है, तो उपखण्ड स्तरीय समिति को कोई आपत्ति नही है।

अतः बैठक कार्यवाही रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर श्रीमान् की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न – उक्तानुसार

उपखण्ड अधिकारी
देवली

प्रमाणित

अधिशाषी अभियंता
राज.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
टोंक (राज.)

...यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, टोंक (राज.)

क्रमांकः– राजस्व / बैठक / 2017 / 682 दिनांक :- 16.8.17

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 16.08.17 को प्रातः 11.00 बजे श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, की अध्यक्षता उनके कक्ष मे अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधि... 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के नियम–6 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति... बैठक आयोजित की गई। बैठक में मिसिंग लिंक दूनी–आवां रोड से चांदली माताजी के निर्माण में आने वाली 2.10 है0 वन भूमि मे रोड निर्माण बाबत् नवीनतम एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र देने हेतु अधिशाषी अभियंता राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड टोंक के पत्र क्रमांक 914 दिनांक 04.08.17 के पत्र को रखा गया। पत्र के साथ ग्रामसभा चांदली एवं निवारिया द्वारा पारित प्रस्तावों की प्रतियों को भी रखा गया। समिति द्वारा पूर्व बैठक दिनांक 18.11.15 को पारित प्रस्ताव के अनुसार रोड निर्माण में आने वाली वन भूमि के बदले ग्राम बिशनपुरा तहसील देवली के सिवायचक ख0नं0 182 रकबा 2.10 है0 को वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तन करने की सहमति दी थी। इसी क्रम में रोड निर्माण में आने वाली वन भूमि 2.10 है0 के बदले श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, के आदेश क्रमांक एफ12–3()राजस्व / आवंटन / 15 / 5919–26 दिनांक 07.06.17 द्वारा ग्राम बिसनपुरा (ग्राम पंचायत राजकोट) के खसरा नम्बर 182 रकबा 2.10 है0 सिवायचक भूमि को वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तन कर दी गई है। बैठक में ग्राम चांदली एवं कंवरपुरा तहसील देवली की 2.10 है0 वन भूमि मे रोड निर्माण की सहमति हेतु विचार–विमर्श किया गया। इस वन भूमि बाबत् वन अधिकार से संबंधित कोई दावा प्रस्तुत नही हुआ है। उक्त वन भूमि में उक्त रोड निर्माण बाबत् ग्राम पंचायत चांदली द्वारा प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 22.07.17 एवं ग्राम पंचायत निवारिया तहसील देवली द्वारा भी प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 22.07.17 से सहमति प्रदान की है।

अतः सर्व सम्मति से निर्णय पारित किया गया कि ग्राम चांदली व कंवरपुरा तहसील देवली में स्थित 2.10 है0 वन भूमि में मिसिंग लिंक दूनी–आवां रोड से चांदली माताजी का वन विभाग की सहमति से निर्माण किया जाता है, तो उपखण्ड स्तरीय समिति को कोई आपत्ति नही है।

विकास अधिकारी
पंचायत समिति देवली

तहसीलदार
देवली

अध्यक्ष 16.8.17.
उपखण्ड स्तरीय समिति,
(वनाधिकार)एवं उपखण्ड अधिकारी
देवली

क्षैत्रीय वन अधिकारी
देवली

श्री रमेश मीणा
पं0स0 सदस्य
पं0स0 देवली

श्री जगदीश मीणा
पं0स0 सदस्य
पं0स0 देवली

मेनावती मीणा
श्रीमति मेनावती मीणा
पं0स0 सदस्य
पं0स0 देवली

प्रमाणित

अधिशाषी अभियंता
राज.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
टोंक (राज.)

...यालय ग्राम पंचायत निवारिया प.स.देवली, जिला टोंक

क्रमांकः- 92/GPN/2017-18 दिनांक 04/08/2017

ग्राम पचांयत निवारिया द्वारा संरपच श्रीमति राजी देवी की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों को मिसिंग लिंक दूनी आवा रोड से चॉदली माताजी कें बारे में बताया गया। उसके निर्हित प्रावधानों एवं सड़क के निर्माण क्षैत्र में आने वाली वन भूमि के बारे में बताया गया एवं समस्त जानकारी दी गई। ततपश्चात उनके निम्न प्रस्ताव लिये गये।

1. मिसिंग लिंक दूनी आवा रोड से चॉदली माताजी निर्माण क्षैत्र में आने वाली वन भूमि की प्रत्यावर्तन की सहमति दी जाती है।
2. मिसिंग लिंक दूनी आवा रोड से चॉदली माताजी में आने वाली वन भूमि पर एस.टी. ओटी. (OT) एफ.डी एक्ट वन अधिकार नियम धारा 2(1) e 2006 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति , अन्य जनजाति,गैर परम्परात वनवासी एवं कृषक वर्ग वास नही करता है। एवं किसी भी व्यक्ति ने इस भूमि पर दावा प्रस्तुत नही किया है।
3. मिसिंग लिंक दूनी आवा रोड से चॉदली माताजी के निर्माण के लिए वन विभाग की वन भूमि के लिए ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है। उक्त प्रस्ताव सर्वसम्पति से जनहित में लिया गया है तथा यह प्रस्ताव ग्राम सभा दिनांक 22.07.2017 के प्रस्ताव सख्या 02 के द्वारा अनुमोदन कर प्रस्ताव पारित किया गया।

ग्राम सभा प्रमाणित दिनांक 22.07.17

04/08/2017
ग्राम सेवक/पदेन सचिव
ग्राम पंचायत निवारिया
प०स०देवली (टोंक) राज०

राजी
सरपंच
ग्राम पंचायत निवारिया
पं. स. देवली (टोंक)

सोहनलाल
उम्मेद
लेखराज
किरोडी
मुकेश
हरिसिंह
पप्पू लाल मीणा
विनाम

प्रमाणित

अधिशाषी अभियंता
राज.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
टोंक (राज.)

...जय ग्राम पचायत चॉदली प.स.देवली,जिला टोंक

क्रमांकः- 91 दिनांक 04/08/2017

ग्राम पचांयत चॉदली द्वारा संरपंच छीतर जी डागर की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों को मिसिंग लिंक दूनी आवा रोड से चॉदली माताजी के बारे में बताया गया। उसके निर्हित प्रावधानों एवं सड़क के निर्माण क्षैत्र में आने वाली वन भूमि के बारे में बताया गया एवं समस्त जानकारी दी गई। ततपश्चात उनके निम्न प्रस्ताव लिये गये।

1. मिसिंग लिंक दूनी आवा रोड से चॉदली माताजी निर्माण क्षैत्र में आने वाली वन भूमि की प्रत्यावर्तन की सहमति दी जाती है।
2. मिसिंग लिंक दूनी आवा रोड से चॉदली माताजी में आने वाली वन भूमि पर एस.टी. ओटी. (OT) एफ.डी एक्ट वन अधिकार नियम धारा 2(1) e 2006 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति , अन्य जनजाति,गैर परम्परात वनवासी एवं कृषक वर्ग वास नही करता है। एवं किसी भी व्यक्ति ने इस भूमि पर दावा प्रस्तुत नही किया है।
3. मिसिंग लिंक दूनी आवा रोड से चॉदली माताजी के निर्माण के लिए वन विभाग की वन भूमि के लिए ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है। उक्त प्रस्ताव सर्वसम्पति से जनहित में लिया गया है तथा यह प्रस्ताव ग्राम सभा दिनांक 22/07/2017 के प्रस्ताव सख्या ....03..... के द्वारा अनुमोदन कर प्रस्ताव पारित किया गया।

ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव
ग्राम पंचायत,चांदली
पं०स०देवली(टोंक)

छीतर 04/08/2017
सरपंच
ग्राम पंचायत चांदली
पं. स. देवली (टोंक)

(पंचायत सहायक)

रामकरण

माया बैरवा चाँदली
A.W.W

पंचायत सहायक

वार्ड पंच 4

अरुणा गुर्जर चांदली
A.W.W

प्रमाणित

अधिशाषी अभियंता
राज.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
टोंक (राज.)

प्रस्ताव रजिस्टर ग्राम पंचायत चांदली

आज दिनांक 22/7/2017 को पंचायत समिति के आदेश क्रमांक 2332/10.7.2017 की अनुपालना मे मतदाता सूचियों का पठन एवं पुनरीक्षण एवं संशोधन के सम्बन्ध मे विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमे निम्न प्रस्ताव व कार्यवाही की गई तथा इसमे निम्न अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे

क्र.सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पद	हस्ताक्षर
1			
2	शिव शंकर शर्मा	सचिव	
3	महावीर प्रसाद प्रजापत	[illegible]	
4	रमेश चन्द मीणा mob 9929720538	[illegible]	
5	पार्वती बैरवा	AHM SC [illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	
7	धनराज [illegible]	B.L.O सं 223	
8	महावीर प्रसाद धाकड़	पंचायत सहायक	
9	श्रीमती [illegible]	वार्ड पंच	गंगाराम
10	गंगाराम बैरवा	वार्ड पंच	
11	राजेन्द्र कुमार शर्मा	वार्ड पंच 15	

ग्राम [illegible] पदेन सचिव
ग्राम पंचायत, चांदली
पं०सं०देवली (टोंक)

सरपंच
ग्राम पंचायत चांदली
पं. स. देवली (टोंक)

प्रमाणित

अधिशाषी अभियन्ता
रा. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner

कार्य विवरण ग्राम सभा चांदली दिनांक 22-7-2017 (1)

प्रस्ताव 1:- सर्वप्रथम बूथ लेवल अधिकारीयो द्वारा मतदाता सूची पढकर सुनाई गई तथा नाम जोड़ने एवं काटने पर चर्चा की गई।

प्रस्ताव 2:- आज दिनांक 22.7.2017 को ग्राम पंचायत अटल भवन पर सरपंच साहब की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत के 810 एवं 8LE की बैठक का आयोजन किया गया जिसमे ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाता जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुके है उनके नाम घर-घर जाकर जोडने एवं मृतक एवं स्थानांतरित मतदाताओ के नाम मतदाता सूची मे चिन्हित कर फार्म नं० 7 भरने का प्रस्ताव लिया गया

प्रस्ताव 3. ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यो को मिसिंग लिंक द्वनी आवा रोड से चान्दली माताजी के बारे मे बताया गया। इसके निर्हित प्रावधानो एवं सडक के निर्माण क्षेत्र मे आने वाली वन भूमि के बारे मे बताया गया एवं समस्त जानकारी दी गई। तत्पश्चात अर्न्तु निम्न प्रस्ताव लिये गये

1. मिसिंग लिंक द्वनी आवा रोड से चान्दली माताजी निर्माण क्षेत्र मे आने वाली वन भूमि की प्रत्यावर्तन की सहमति दी जाती है

2. मिसिंग लिंक द्वनी आवा रोड से चांदली माताजी मे आने वाली वन भूमि पर एफ. आर. ओ. (0.1) एफ.आर.ए. एक्ट वन अधिकार नियम धारा 2(1) e 2006 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति अन्य जनजाति गैर परम्परागत वनवासी एवं समुदाय वर्ग वास नही करता है एवं किसी भी व्यक्ति ने इस भूमि पर दावा प्रस्तुत नही किया है।

3. मिसिंग लिंक द्वनी आवा रोड से चान्दली माताजी के निर्माण के लिए वन विभाग की वन भूमि के लिए ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है प्रस्ताव

(हस्ताक्षर) कंजाड़, रेख्या, (हस्ताक्षर), किशन लाल, (हस्ताक्षर), कुसुमलता शर्मा, आशा, (हस्ताक्षर)

प्रमाणित
सरपंच
ग्राम पंचायत चांदली
प. स. देवली (टोंक)
प्रदान सचिव
ग्राम पंचायत चांदली
पं०सं० देवली
राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

Scanned by CamScanner

सर्वसम्मति से अनुमोदित कर लिया गया है तथा यह प्रस्ताव ग्राम सभा दिनांक 27/7/2017 के प्रस्ताव संख्या 03 के द्वारा अनुमोदित कर प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 04 :- ग्राम पंचायत सचिव द्वारा समस्त आय व्यय का ब्योरा प्रस्तुत किया गया जिसको सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या = 05 – उधरना ग्राम में जगदीश मीणा के कोठे से हरिसिंह मीणा के मकान तक सी.सी. रोड मय नाली निर्माण का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या = 06 :- ग्राम पंचायत चांदली को खुले में शौच मुक्त ODF करने हेतु प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।

प्रस्ताव सं = 07 → नाथू बैरवा के मकान से रामप्रसाद मोची के मकान तक सी.सी. रोड मय नाली निर्माण का प्रस्ताव सर्व सम्मति से लिया गया।

प्रस्ताव :-08 :- मोती मोची के मकान के पीछे से मोहन प्रजापत के मकान के पीछे होता हुआ राजकोट रोड तक सी.सी. रोड मय नाली निर्माण का प्रस्ताव सर्व सम्मति से लिया गया।

प्रस्ताव 09 :- ग्राम पंचायत क्षेत्र में खराब हैण्डपम्पो को ठीक करवाने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से लिया गया।

प्रस्ताव :-10 :- ओंकार परेरा के मकान से घेरूजी के मकान तक सी.सी. रोड मय नाली निर्माण का प्रस्ताव सर्व सम्मति से लिया गया

प्रस्ताव-11 :- आंगनवाड़ी I व II केन्द्र पर चार दिवारी का निर्माण सर्व सम्मति से व नवीन हैण्ड पम्प का निर्माण सर्व सम्मति से पारित किया गया।

(हस्ताक्षर सूची: ..., ..., किशोर..., ओमप्रकाश, रामप्रसाद, महावीर, मानसिंह, ..., ..., ..., ..., माया बैरवा, कुसुमलता, रामलाल, सुखलाल, ..., रामपाल, दुर्गालाल)

प्रमाणित
(हस्ताक्षर)
प्रभारी अधिकारी ... कृषि विपणन बोर्ड

(हस्ताक्षर)
ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्राम पंचायत, चांदली
पं०सं० देवली (टोंक)

(हस्ताक्षर)
सरपंच
ग्राम पंचायत चांदली
पं. स. देवली (टोंक)

Scanned by CamScanner